लौह-अयस्क खान [1][, मैंगनीज-अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण] निधि अधिनियम, 1976

(1976 का अधिनियम संख्यांक 61)

[10 अप्रैल, 1976]

लौह-अयस्क खानों [2][, मैंगनीज-अयस्क खानों और क्रोम-अयस्क खानों] में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के क्रियाकलापों के वित्तपोषण का का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लौह-अयस्क खान [1][, मैंगनीज-अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण] निधि अधिनियम, 1976 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रथमत: किसी राज्य में केवल लौह-अयस्क खानों को या केवल मैंगनीज-अयस्क खानों को [3][या केवल क्रोम-अयस्क खानों] को उस तारीख से लागू कर सकेगी जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए और यदि उस सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह इस अधिनियम का विस्तार उस राज्य में सभी लौह-अयस्क खानों [2][, मैंगनीज-अयस्क खानों और क्रोम-अयस्क खानों] पर उस तारीख से कर सकेगी जो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए ।

2. परिभाषाएं—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अभिकर्ता" और "स्वामी" के वही अर्थ हैं जो खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) और (ठ) में हैं ;

[4][(कक) "क्रोम-अयस्क" के अन्तर्गत लौह क्रोम भी है ;]

(ख) "ठेकेदार" का वही अर्थ है जो ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में है ;

(ग) "कारखाना" और "अधिष्ठाता" के वही अर्थ हैं जो कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खण्ड (ङ) और (ढ) में हैं ;

(घ) "निधि" से धारा 3 के अधीन स्थापित लौह-अयस्क खान [5][, मैंगनीज-अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण निधि] अभिप्रेत है ;

(ङ) "प्रबन्धक" से खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 17 में निर्दिष्ट प्रबन्धक अभिप्रेत है ;

(च) "मैंगनीज-अयस्क" के अन्तर्गत फैरोजीनस मैंगनीज-अयस्क या फैरोमैंगनीज-अयस्क भी है ;

(छ) "धातुकर्मीय कारखाना" से—

(i) ऐसा कारखाना अभिप्रेत है जिसमें लौह या इस्पात या मैंगनीज [4][या क्रोम] को प्रसंस्कृत या विनिर्मित किया जाता है ;

---

[1] 1982 के अधिनियम सं० 45 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 1982 के अधिनियम सं० 45 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1982 के अधिनियम सं० 45 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1982 के अधिनियम सं० 45 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1982 के अधिनियम सं० 45 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ii) कोई अन्य ऐसा कारखाना अभिप्रेत है जिसमें लौह-अयस्क या मैंगनीज-अयस्क [1][या क्रोम-अयस्क] का प्रयोग किसी प्रयोजन के लिए किया जाता है और जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धातुकर्मीय कारखाने के रूप में घोषित करे ;

(ज) कोई व्यक्ति किसी लौह-अयस्क खान या मैंगनीज-अयस्क खान [1][या क्रोम-अयस्क खान] में नियोजित कहा जाता है,—

(1) यदि वह ऐसी खान के परिसर के भीतर या उसके सामीप्य में ऐसी खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा या किसी ठेकेदार या किसी अन्य अभिकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक में अनन्त: नियोजित किया जाता है, अर्थात् :—

(i) कोई लौह-अयस्क या मैंगनीज-अयस्क [1][या क्रोम-अयस्क] खनन संक्रिया ;

(ii) ऐसी खान में या उसके आसपास प्रयोग की जाने वाली किसी मशीनरी या उसके किसी भाग का प्रचालन, सर्विस, अनुरक्षण या मरम्मत ;

(iii) लौह-अयस्क या मैंगनीज-अयस्क [1][या क्रोम-अयस्क] या लौह-अयस्क या मैंगनीज-अयस्क [1][या क्रोम-अयस्क] के खनन से सम्बद्ध किसी अन्य सामग्री का लादना, उतारना या प्रेषण ;

(iv) ऐसी खान की प्रसीमाओं के भीतर स्थित किसी कार्यालय, कैन्टीन, शिशुकक्ष में कोई काम ;

(v) ऐसे परिसर के भीतर या सामीप्य में स्थित किसी ऐसे स्थान में जो ऐसा स्थान नहीं है जिस पर कोई निवासी भवन हो, कोई कल्याण, स्वास्थ्य, स्वच्छता या सफाई सेवाएं या कोई पहरा और निगरानी कर्तव्य ; या

(2) यदि वह, किसी ऐसे क्षेत्र में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, ऐसी खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा या किसी ठेकेदार या किसी अन्य अभिकरण द्वारा लौह-अयस्क या मैंगनीज-अयस्क [1][या क्रोम-अयस्क] के अथवा या लौह-अयस्क या मैंगनीज-अयस्क [1][या क्रोम-अयस्क] के खनन से सम्बद्ध किसी अन्य सामग्री के लादने, उतारने या प्रेषण में अनन्यत: नियोजित किया जाता है ;

(झ) "विहित" से इस अधिनिमय के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

3. लौह-अयस्क खान [2][**, मैंगनीज-अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण**] **निधि**—लौह-अयस्क खान [2][, मैंगनीज-अयस्क और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण] निधि के नाम से एक निधि स्थापित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे :—

(क) ऐसी रकम जिसका केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, लौह-अयस्क खान [2][, मैंगनीज-अयस्क और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण] उपकर अधिनियम, 1976 (1976 का 55) की धारा 5 के अधीन जमा किए गए सीमाशुल्क और उत्पाद-शुल्क के आगमों में से, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अवधारित संग्रहण-खर्च को उनमें से काटने के पश्चात्, उपबन्ध करे ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन जमा की गई ऐसी रकम के जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट है, विनिधान से कोई आय और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त कोई अन्य धनराशियां ।

4. निधि का उपयोजन—निधि का उपयोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा उस व्यय की, जो ऐसे उपायों के सम्बन्ध में उपगत किया गया हो जो उस सरकार की राय में लौह-अयस्क खानों [3][, मैंगनीज-अयस्क खानों और क्रोम-अयस्क खानों] में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों, चुकाने के लिए और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए किया जाएगा :—

(क) लौह-अयस्क खानों या मैंगनीज-अयस्क खानों [4][या क्रोम-अयस्क खानों] में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए उन उपायों के खर्च चुकाना जो निम्नलिखित के लिए उद्दिष्ट हों :—

(i) लोक-स्वास्थ्य और स्वच्छता की व्यवस्था और सुधार, रोग का निवारण और चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार ;

(ii) जन-प्रदाय और नहाने-धोने की सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार ;

(iii) शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार ;

---

[1] 1982 के अधिनियम सं० 45 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1982 के अधिनियम सं० 45 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 1982 के अधिनियम सं० 45 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] 1982 के अधिनियम सं० 45 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।

(iv) आवासन और आमोद-प्रमोद की सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार जिनके अन्तर्गत जीवन-यापन का स्तर, पोषण और सामाजिक दशाओं की बेहतरी भी है ;

(v) काम के स्थान पर जाने और वहां से आने के लिए परिवहन की व्यवस्था ;

[1][(vi) परिवार कल्याण की व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत परिवार नियोजन शिक्षा और सेवाएं भी हैं ;]

(ख) लौह-अयस्क खानों या मैंगनीज-अयस्क खानों [2][या क्रोम-अयस्क खानों] में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण से संसक्त किसी प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम की सहायता के लिए किसी राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या किसी लौह-अयस्क खान या मैंगनीज-अयस्क खान [2][या क्रोम-अयस्क] के स्वामी को उधार या सहायिकी का दिया जाना ;

(ग) लौह-अयस्क खानों या मैंगनीज-अयस्क खानों [2][या क्रोम-अयस्क खानों] के ऐसे स्वामियों को, जो अपनी खानों में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए विहित स्तर-मान के कल्याणकारी उपायों की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार को समाधानप्रद रूप में करते हैं, वार्षिक सहायता अनुदान देना; किन्तु ऐसे स्वामियों को सहायता अनुदान के रूप में संदेय रकम, निम्नलिखित में से जो भी रकम कम हो, उससे अधिक नहीं होगी—

(i) कल्याणकारी उपायों की व्यवस्था करने में उनके द्वारा व्यय की गई रकम जैसी वह केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा अवधारित की जाए, या

(ii) ऐसी रकम जो विहित की जाए :

परन्तु यदि पूर्वोक्त रूप से अवधारित कल्याणकारी उपायों पर व्यय की गई रकम इस निमित्त विहित रकम से कम है तो किसी लौह-अयस्क खान या मैंगनीज-अयस्क खान [2][या क्रोम-अयस्क खान] के स्वामी द्वारा व्यवस्था किए गए किन्हीं कल्याणकारी उपायों के सम्बन्ध में सहायता अनुदान संदेय नहीं होगा ;

(घ) क्रमश: धारा 5 और धारा 6 के अधीन गठित सलाहकार समितियों और केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के भत्ते, यदि कोई हों, और धारा 8 के अधीन नियुक्त व्यक्तियों के वेतन और भत्ते यदि कोई हों, चुकाना ;

(ङ) कोई अन्य व्यय जिसका निधि में से चुकाया जाना केन्द्रीय सरकार निदिष्ट करे ।

5. सलाहकार समितियां—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रशासन से उद्भूत होने वाले उन मामलों पर, जो उस राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किए जाएं जिनके अन्तर्गत निधि के उपयोजन से सम्बद्ध मामले भी हैं, केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए,—

(क) ऐसे हर एक राज्य के लिए जिसमें लौह-अयस्क या मैंगनीज-अयस्क [3][या क्रोम-अयस्क] का उत्पादन किया जाता है, एक सलाहकार समिति गठित कर सकेगी, या

(ख) यदि किसी राज्य में [4][ऐसे अयस्कों में से किन्हीं दो या सभी अयस्कों] का उत्पादन किया जाता है तो ऐसे राज्य के लिए [4][केवल ऐसे एक अयस्क या केवल ऐसे किन्हीं दो अयस्कों की बाबत या ऐसे सभी अयस्कों की बाबत] एक सलाहकार समिति गठित कर सकेगी ।

(2) हर एक सलाहकार समिति में उतने व्यक्ति होंगे जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा उसमें नियुक्त किए जाएं, जिनमें से एक महिला सदस्य होगी और वे सदस्य ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो विहित की जाए :

परन्तु हर एक सलाहकार समिति में सरकार, लौह-अयस्क खानों [4][, मैंगनीज-अयस्क खानों और क्रोम-अयस्क खानों] के स्वामियों तथा लौह-अयस्क खानों [4][, मैंगनीज-अयस्क खानों और क्रोम-अयस्क खानों] में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या बराबर-बराबर होगी ।

(3) हर एक सलाहकार समिति का अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार, हर एक सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम राजपत्र में प्रकाशित करेगी ।

6. केन्द्रीय सलाहकार समिति—(1) केन्द्रीय सरकार धारा 5 के अधीन गठित सलाहकार समितियों के काम को समन्वित करने के लिए और इस अधिनियम के प्रशासन से उद्भूत होने वाले किसी मामले पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार समिति गठित कर सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सलाहकार समिति में उतने व्यक्ति होंगे जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएं, जिनमें से एक महिला सदस्य होगी और वे सदस्य ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो विहित की जाए :

---

[1] 1987 के अधिनियम सं० 15 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1982 के अधिनियम सं० 45 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 1982 के अधिनियम सं० 45 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] 1982 के अधिनियम सं० 45 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परन्तु केन्द्रीय सलाहकार समिति में सरकार, लौह-अयस्क खानों [1][, मैंगनीज-अयस्क खानों और क्रोम-अयस्क खानों] के स्वामियों तथा लौह-अयस्क खानों [1][, मैंगनीज-अयस्क खानों या क्रोम-अयस्क खानों] में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या बराबर-बराबर होगी ।

(3) केन्द्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम राजपत्र में प्रकाशित करेगी ।

7. सहयोजित करने, आदि की शक्ति—(1) सलाहकार समिति या केन्द्रीय सलाहकार समिति, किसी भी समय और ऐसी अवधि के लिए जैसी वह ठीक समझे, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सलाहकार समिति में सहयोजित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सहयोजित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी सदस्य की सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा, किन्तु मत देने का हकदार नहीं होगा ।

(3) सलाहकार समिति या केन्द्रीय सलाहकार समिति, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो, किसी व्यक्ति को अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकती है और यदि ऐसा व्यक्ति किसी बैठक में उपस्थित होता है तो वह उसमें मत देने का हकदार नहीं होगा ।

8. कल्याण आयुक्तों, आदि की नियुक्ति और उनकी शक्तियां—(1) केन्द्रीय सरकार उतने कल्याण आयुक्त, कल्याण प्रशासक, निरीक्षक और ऐसे अन्य अधिकारी तथा कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगी जितने वह इस अधिनियम और लौह-अयस्क खान [2][, मैंगनीज-अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण] उपकर अधिनियम, 1976 (1976 का 55) के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे ।

(2) केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी कल्याण आयुक्त को ऐसे कर्मचारिवृन्द नियुक्त करने के लिए निदेश दे सकेगी जैसे इस अधिनियम और लौह-अयस्क खान [2][, मैंगनीज-अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण] उपकर अधिनियम, 1976 (1976 का 55) के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे जाएं ।

(3) इस प्रकार नियुक्त किया गया हर व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

(4) कोई कल्याण आयुक्त, कल्याण प्रशासक या निरीक्षक,—

(क) ऐसी सहायता के साथ, यदि कोई हो, जैसी वह ठीक समझे, किसी युक्तियुक्त समय पर ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकेगा जहां वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए प्रवेश करना आवश्यक समझे ;

(ख) ऐसे स्थान के अन्दर कोई ऐसी बात कर सकेगा जो उसके कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक हो ; और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो विहित की जाएं ।

9. केन्द्रीय सरकार की छूट देने की शक्ति—यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि लौह-अयस्क खानों या मैंगनीज-अयस्क खानों [3][या क्रोम-अयस्क खानों] में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के क्रियाकलापों के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त उपबंध करने वाली कोई विधि किसी राज्य या उसके किसी भाग में पवृत्त है, तो वह, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के सभी या कोई उपबंध ऐसे राज्य या उसके भाग को लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

10. अधिनियम के अधीन वित्तपोषित क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट—केन्द्रीय सरकार हर एक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात्, यथाशीघ्र पूर्वतन वित्तीय वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन वित्तपोषित अपने क्रियाकलापों का विवरण देने वाली एक रिपोर्ट, एक लेखा-विवरण सहित, राजपत्र में प्रकाशित कराएगी ।

11. जानकारी मांगने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार किसी धातुकर्मीय कारखाने के अधिष्ठाता से अथवा किसी लौह-अयस्क खान या मैंगनीज-अयस्क खान [4][या क्रोम-अयस्क खान] के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, आंकड़ों की और अन्य जानकारी ऐसे प्ररूप में और ऐसी अवधि के भीतर दे जो विहित की जाए ।

12. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे :—

---

[1] 1982 के अधिनियम सं० 45 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 1982 के अधिनियम सं० 45 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 1982 के अधिनियम सं० 45 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] 1982 के अधिनियम सं० 45 की धारा 11 द्वारा अंत:स्थापित ।

(क) वह रीति जिससे निधि का उपयोजन धारा 4 में विनिर्दिष्ट उपायों के लिए किया जा सकेगा ;

(ख) धारा 4 के खण्ड (ख) के अधीन उधार या सहायिकी के दिए जाने को शासित करने वाली शर्तें ;

(ग) उन कल्याणकारी उपायों का स्तरमान जिनकी धारा 4 के खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए लौह-अयस्क खानों या मैंगनीज-अयस्क खानों [1][या क्रोम-अयस्क खानों] के स्वामियों द्वारा व्यवस्था की जानी है ;

(घ) धारा 4 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) में और उस खण्ड के परन्तुक में निर्दिष्ट रकम का अवधारण ;

(ङ) क्रमश: धारा 5 और धारा 6 के अधीन गठित सलाहकार समितियों और केन्द्रीय सलाहकार समिति की संरचना, वह रीति जिससे उनके सदस्य चुने जाएंगे, ऐसे सदस्यों की पदावधि, उन व्यक्तियों को जिनके अन्तर्गत सहयोजित सदस्य और आमन्त्रित व्यक्ति भी हैं संदेय भत्ते, यदि कोई हों, और वह रीति जिससे उक्त सलाहकार समितियां और केन्द्रीय सलाहकार समिति अपने कारबार का संचालन करेगी ;

(च) धारा 8 के अधीन नियुक्त सभी व्यक्तियों की भर्ती, सेवा की शर्तें और कर्तव्य ;

(छ) वे शक्तियां जिनका किसी कल्याण आयुक्त, कल्याण प्रशासक या निरीक्षक द्वारा धारा 8 के अधीन प्रयोग किया जा सकेगा ;

(ज) केन्द्रीय सरकार को धातुकर्मीय कारखानों के अधिष्ठाताओं और लौह-अयस्क खानों या मैंगनीज-अयस्क खानों [1][या क्रोम-अयस्क खानों] के स्वामियों, अभिकर्ताओं या प्रबन्धकों द्वारा आंकड़ों की और ऐसी अन्य जानकारी का दिया जाना जिसके दिए जाने की धारा 11 के अधीन उस सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए ;

(झ) वह प्ररूप जिसमें और वह अवधि जिसके भीतर आंकड़ों की जानकारी और अन्य जानकारी खण्ड (ज) के अधीन दी जानी है ;

(ञ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित, या उपबंधित किया जाना है या किया जाए ।

(3) उपधारा (3) के खण्ड (ज) या खण्ड (झ) के अधीन कोई नियम बनाने में, केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि उसका भंग जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(4) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

———

[1] 1982 के अधिनियम सं० 45 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।